श्री गोरखनाथ, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2022 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा राज्य खाद्य निगम से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत एवं परिचय के उपरांत कार्यावली के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) :–

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में NFSA एवं PMGKAY योजना के तहत अनाज का वितरण किया जाता है। मई माह में अनाज का उठाव तथा वितरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी चारों जिला में निम्न तालिका अनुसार अनाज का उठाव एवं वितरण किया गया है :–

NFSA उठाव एवं वितरण

| जिला | उठाव (ML) | प्रतिशत | वितरण (MT) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| पूर्णिया | 134122.02 | 88.78 | 148803.70 | 110.95 |
| कटिहार | 14365740 | 100 | 13355828.48 | 92.97 |
| अररिया | 139762.89 | 99.25 | 130286.97 | 93.22 |
| किशनगंज | 85371.86 | 100.41 | 84404.93 | 99.28 |

PMGKAY उठाव एवं वितरण

| जिला | उठाव (ML) | प्रतिशत | वितरण (MT) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| पूर्णिया | 123588.78 | 82.66 | 143222.76 | 115.89 |
| कटिहार | 13612416.02 | 100 | 12586039.85 | 92.46 |
| अररिया | 135364.20 | 99.17 | 125157.74 | 92.46 |
| किशनगंज | 79171.98 | 100.84 | 77096.10 | 98.20 |

आयुक्त द्वारा उपरोक्त के संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त दोनों योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो खासकर गरीब एवं भूखे लोगों के लिए है। अतः अनाज का उठाव एवं वितरण का कार्य ससमय करवाया जाय ताकि गरीब लोगों को समय पर अनाज मिल सकें। अनाज के जमाखोरी के विरूद्ध अभियान चलाकर जमाखोरी पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाय एवं दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

- किरासन तेल का उठाव एवं वितरण :–

किरासन तेल के वितरण के संबंध में जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि किरासन तेल का मूल्य ज्यादा होने के कारण किरासन तेल का पूर्ण वितरण नहीं हो पाता

है। प्रायः इसी प्रकार की बात सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बतायी गयी। किरासन तेल का उठाव एवं वितरण जिलावार निम्न है :–

माह--मई

| जिला | कुल उपलब्धता (लीटर में) | वितरित मात्रा (लीटर में) | माह का अंतिम शेष |
|---|---|---|---|
| पूर्णिया | 280458.990 | 0.00 | 0.00 |
| कटिहार | 595602.250 | 550701.000 | 44901.250 |
| अररिया | 416443.40 | 376311.30 | 40132.1 |
| किशनगंज | 236436.800 | 166656.000 | 69780.800 |

आयुक्त द्वारा किरासन तेल का जमाखोरी एवं अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु निदेशित किया गया।

- राशन कार्ड निर्माण :–

नई राशन कार्ड निर्माण के प्रक्रिया के बारे में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले लोगों द्वारा RTPS के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन दिया जाता है। उस आवेदन का जाँच प्रखंड एवं अंचल स्तर से कराये जाने के उपरांत योग्य लाभुक को नई राशन कार्ड निर्गत किया जाता है। समीक्षा के क्रम में पूर्णिया द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त पाया गया।

आयुक्त द्वारा नई राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन की जाँच कर योग्य लाभुक को नई राशन कार्ड निर्माण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया ताकि योग्य लाभार्थी को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सके।

- आधार Seeding/E-Pos मशीन :–

आधार Seeding के संबंध में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्णिया में 81.84%, कटिहार में 86.35%, अररिया में 81% तथा किशनगंज में 84.43% आधार Seeding का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष का प्रक्रियाधीन है उसे जल्द–से–जल्द आधार Seeding कर लिया जायेगा।

आयुक्त द्वारा आधार Seeding शत–प्रतिशत करने का निदेश दिया गया जिससे Duplicacy रुक सके तथा फर्जी एवं गलत राशन कार्ड का विभागीय नियमानुसार Deletion का कार्य में तेजी लाने के संबंध में भी निदेशित किया गया।

- जन वितरण प्रणाली की दुकान एवं उसका निरीक्षण :–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर क्षेत्र में 1300 जनसंख्या पर एक जन वितरण प्रणाली दुकान तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1900 जनसंख्या पर एक जन वितरण प्रणाली दुकान का प्रावधान है। कटिहार जिला अंतर्गत कुल 1530 जन वितरण प्रणालियों की संख्या है जिसमें गत माह कुल 156 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा 1432 जन वितरण प्रणाली दुकान तथा 404 दुकानों का निरीक्षण करने की बात बतायी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया द्वारा जिले में कुल 1426 जन वितरण प्रणाली दुकान तथा 290 निरीक्षण करने के बारे में जानकारी दी गई जबकि किशनगंज में 582 जन वितरण प्रणाली दुकान तथा 120 दुकानों में निरीक्षण करने के बारे में बताया गया।

आयुक्त द्वारा इस संबंध में अनुमंडलवार सभी अनुमंडल पदाधिकारी से जन वितरण प्रणाली दुकान, अनाज वितरण एवं जन वितरण प्रणाली दुकान के निरीक्षण की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधीन कम–से–कम 3% जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण प्रत्येक माह करने की बात बताया गया। धमदाहा अनुमंडल में 3 जन वितरण प्रणाली दुकानदार, बनमनखी अनुमंडल में 2 जन वितरण प्रणाली दुकानदार, फारबिसगंज में 1 जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं कटिहार सदर अनुमंडल में 10 जन वितरण प्रणाली दुकानदार का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है तथा फारबिसगंज अनुमंडल में 7 तथा अररिया अनुमंडल में 5 जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने, निरीक्षण प्रभावी बनाने का प्रयास करने, निरीक्षण के उपरांत पाये गये त्रुटि का निराकरण ससमय करवाने एवं निरीक्षण के क्रम में दिये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया एवं दोषियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारी को निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन अपने उच्च प्राधिकार को भी उपलब्ध कराने के संबंध में निदेशित किया गया। किये गये निरीक्षणों का एक प्रतिवेदन उप निदेशक खाद्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को भी भेजा जाय एवं संबंधित पदाधिकारी भी सरकार के निदेशों के अनुरूप जन वितरण प्रणाली के कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

- <u>पेट्रोल पंप/किरासन के थोक विक्रेता की जाँच</u> :–

समीक्षा के क्रम में कटिहार में 72 पेट्रोल पंप तथा 11 किरासन तेल विक्रेता की जाँच किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा भी 1 पेट्रोल पंप जाँच के बारे में बताया गया।

आयुक्त द्वारा इस संबंध में पेट्रोल पंप में मिलावट एवं मात्रा की जाँच करने एवं जाँचोपरांत त्रुटि पाये जाने पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

<u>राज्य खाद्य निगम</u> :–

- <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)</u> :–

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 14 गोदाम हैं जिसमें 7 गोदाम में AGM नियुक्त हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गत माह 100 प्रतिशत तथा PMGKAY में 55 प्रतिशत अनाज का उठाव किया गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया द्वारा जिले में 9 गोदाम तथा 8 गोदाम में AGM नियुक्त होने की बात बतायी गयी। अनाज वितरण GPS Load गाड़ी से कराया जाता है। किशनगंज के जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा NFSA 100 प्रतिशत तथा 54 प्रतिशत PMGKAY अनाज उठाव की बात बतायी गयी तथा जन वितरण प्रणाली दुकानदार को 67 प्रतिशत अनाज का वितरण किया जा चुका है।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कटिहार द्वारा बताया गया कि जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम का संयुक्त रूप से धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु जिम्मेदार है।

माह--जून का वितरण

| जिला का नाम | NFSA | | | | PMGKAY | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उठाव | उठाव % | वितरण | वितरण % | उठाव | उठाव % | वितरण | वितरण % |
| पूर्णिया | 130533.91 | 83.74 | 95348.86 | 62.72 | 91288.57 | 63.42 | 77543.79 | 53.22 |
| कटिहार | 82857.32 | 56.79 | 82857.32 | 58.21 | 84351.48 | 64.58 | 76682.15 | 56.16 |
| अररिया | 111919.19 | 74.61 | 72597.58 | 51.91 | 57130.52 | 40.08 | 63141.14 | 48.16 |
| किशनगंज | 72230.34 | 84.96 | 43743.20 | 51.37 | 31967.16 | 40.72 | 38471.21 | 49.47 |

इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा मिलर से अनाज का उठाव एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदार को वितरण ससमय करवाने हेतु निदेशित किया गया।

- <u>सी०एम०आर० अधिप्राप्ति / गोदाम की स्थिति</u> :–

समीक्षा के क्रम में सी०एम०आर० अधिप्राप्ति हेतु पूर्णिया में 63828.94, कटिहार में 502500, अररिया में 616400 तथा किशनगंज में 60300 MT का लक्ष्य निर्धारित था लेकिन लक्ष्य के विरूद्ध गोदाम क्षमता पूर्णिया में 44.76%, कटिहार में 33.5%, अररिया में 21.17% तथा किशनगंज में 24.87% होने की बात बतायी गई।

आयुक्त द्वारा अनाज का रख–रखाव पर विशेष ध्यान देने, अनाज भंडारण हेतु उपर्युक्त स्थल का चयन करने के संबंध में निदेश दिया गया ताकि अनाज सड़ने एवं बर्बादी होने से रोका जा सके।

समीक्षोपरांत आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सतत् अनुश्रवण किया जाय तथा निरंतर समय अंतराल में अपने अधीनस्थ पदाधिकारी / कर्मी के साथ बैठक कर अपने स्तर से निदेशित किया जाय। अंत में सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

1/7/22
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2014 पूर्णिया, दिनांक 01-7-22

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/22
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2014 पूर्णिया, दिनांक 01-7-22

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर / बायसी / धमदाहा / बनमनखी / कटिहार सदर / मनिहारी / बारसोई / अररिया / फारबिसगंज / किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1/7/22
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।



D:\Manoj I\Rasid ji\Proceeding